(Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA (1) 11/2010-I dated 21-2-15 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Panchayati Raj.

...

NO.PCH-HA-(1) 11/2010-I Dated Shimla-171 009 the 21-2 -2015.

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 135 read with section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Panchayat Sahayaks in Zila Parishads) Rules, 2014, notified vide notification of even number dated 16-7-2014 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 22nd July, 2014 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any interested person likely to be affected by these rules has any objection(s) or suggestions(s) with regard to these rules, he may send the same to the Director of Panchayati Raj, Himachal Pradesh, SDA Complex, Block No. 27, Kasumpti, Shimla-171009, within a period of fifteen days from the date of publication of the said draft rules in the Official Gazette (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objections(s) or suggestions(s), if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing the said draft rules, namely:-

DRAFT RULES

Short title. 1. These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj

(Appointment and Conditions of Service of Panchayat Sahayaks in Zila Parishads) Second Amendment Rules, 2015.

Amendment of rule 8.

2. In rule 8 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Panchayat Sahayaks in Zila Parishads) Rules, 2014, for clause (IV), the following clause shall be substituted, namely:-

"(IV) SELECTION PROCESS:

(a) the procedure for inviting applications for district-wise cadre shall be such as may be decided by the Government;

(b) the Chief Executive Officer of the Zila Parishad concerned will place the requisition with the concerned recruiting agency as may be decided by the Government for filling the vacant posts.

(c) the selection shall be made on the basis of the marks obtained in the written test and interview/ viva-voce to be conducted by the agency as decided under sub-clause (f). Such agency shall conduct the written test consisting of the subjects of Mathematics, English, Hindi and General Knowledge of 10+2 standard alongwith interview/ viva-voce test out of the total 100 marks, which shall be divided in the following manner:-

(a) Mathematics =	25 Marks.
(b) Hindi =	25 Marks.
(c) General Knowledge =	25 Marks.
(d) English=	10 marks.
(e) Interview/ viva-voce=	15 marks.

(d) the said agency shall call five successful candidates for interview against one vacancy on the basis of merit worked out in the written

test.

(e) final selection for appointment to the post will be made on the basis of interview/ viva-voce tests conducted by the recruiting agency.

(f) The said agency shall furnish list of finally selected candidates on the basis of merit worked out in the written test and interview/ viva-voce to the Chief Executive Officer of the concerned Zila Parishad.".

By order

(Manisha Nanda)
Principal Secretary (PR) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst.No. PCH-HA(1)11/2010-I-38170-323 Shimla-9, dated the 21st Feb, 2015
Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All the Principal Secretaries/ Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Additional Secretary (GAD) to the Government of Himachal.
3. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
4. Assistant Law Advisor and Under Secretary (Law) Himachal Pradesh Government.
5. All the District Panchayat Officers-cum-Secretaries, Zila Parishad H.P.
6. Principals, PRTI, Mashobra, Thunag, Baijnath.
7. All the Block Development Officers-cum-Chief Executive Officers of Panchayati Samitis in Himachal Pradesh.
8. Controller, Printing and Stationary Department, H.P. Shimla-171005 with the request that the above notification may kindly be published in Rajpatra.

(Rakesh Kumar Korla)
Deputy Secretary (PR) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या–पी.सी.एच.–एच.ए.(1)11/2010– । तारीख, शिमला–171009, 21/02/2015

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के साथ पठित धारा 135 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 16–7–2014 द्वारा और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 22 जुलाई, 2014 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं और उन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी हितबद्ध व्यक्ति का इन नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) हैं, तो वह उसे/उन्हें उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र, (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, एस.डी.ए. कम्पलैक्स, ब्लाक न0 27, कसुम्पट्टी, शिमला–171009 को भेज सकेगा;

उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों) या सुझाव(वों), यदि कोई है/हैं, पर उक्त प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:–

प्रारूप नियम

संक्षिप्त नाम। 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) द्वितीय संशोधन नियम, 2015 है।

नियम 8 का संशोधन 2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2014 के नियम 8 के खण्ड (iv) के स्थान पर

निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:–

"(iv) चयन प्रक्रिया:

(क) जिलावार संवर्ग के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए;

(ख) सम्बद्ध जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण के समक्ष अध्यपेक्षा रखेगा जैसी सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए विनिश्चित की जाए।

(ग) चयन उपरोक्त उप खण्ड (ख) के अधीन यथा विनिश्चित अभिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ऐसा अभिकरण, कुल 100 अंकों में से साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के साथ–साथ, दस जमा दो स्तर के गणित, अंग्रेजी, हिन्दी और सामान्य ज्ञान के विषयों से समविष्ट लिखित परीक्षा संचालित करेगा, जिन्हें निम्नलिखित रीति में विभाजित किया जाएगा:–

(क) गणित	=	25 अंक।
(ख) हिन्दी	=	25 अंक।
(ग) सामान्य ज्ञान	=	25 अंक।
(घ) अंग्रेजी	=	10 अंक।
(ड.) साक्षातकार/मौखिक परीक्षा	=	15 अंक।

(घ) उक्त अभिकरण, लिखित परीक्षा में बनाई गई मैरिट के आधार पर, एक रिक्ति के विरूद्ध पांच सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा।

(ड.) पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम चयन, भर्ती अभिकरण द्वारा संचालित साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के आधारन पर किया जाएगा।

(च) उक्त अभिकरण, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में बनाई गई मैरिट के आधार पर, अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची को सम्बद्ध जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगा।"।

आदेश द्वारा

(मनीषा नंदा)
प्रधान सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या–पीसीएचए–एचए (1) 11/2010–I- 89170-323 तारीख 21/02/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक के निर्णय के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
5. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
6. प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा/बैजनाथ।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
8. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005।

(राकेश कुमार कोरला)
उप–सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।